

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्रांक— NHM/BHDS/119/2024 - पी.पी.एम. - 148 - /कृ०, पटना, दिनांक - 24.09.2025
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय :

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की योजना" दो वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में कुल 458.50 लाख (चार करोड़ अठावन लाख पचास हजार) रुपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत कुल 160.48 लाख (एक करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार) रुपये के अधीन कुल 35.66 लाख (पैंतीस लाख छियासठ हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की योजना" दो वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में कुल 458.50 लाख (चार करोड़ अठावन लाख पचास हजार) रुपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत कुल 160.48 लाख (एक करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार) रुपये के अधीन कुल 35.66 लाख (पैंतीस लाख छियासठ हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या— NHM/BHDS/119/2024-पी०पी०एम०—25 दिनांक 15.03.2024 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की योजना" दो वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में कुल 458.50 लाख (चार करोड़ अठावन लाख पचास हजार) रुपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा उक्त के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 298.03 लाख (दो करोड़ अन्तानवें लाख तीन हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत 160.48 लाख (एक करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार) रुपये के अधीन 35.66 लाख (पैंतीस लाख छियासठ हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह चालू योजना है।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 375 एकड़ के विरुद्ध 244.75 एकड़ की उपलब्धि प्राप्त होने तथा केवल 4 जिलों यथा—गोपालगंज, मुंगेर, जमुई एवं मधेपुरा में पौधों की उत्तरजीविता 75 प्रतिशत से अधिक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 100 एकड़ के

लिए ही आवश्यक राशि 35.660 लाख (पैंतीस लाख छियासठ हजार) रुपये की स्वीकृति दी जा रही है। इससे संबंधित अनुसूची-1 अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

4. इस स्वीकृत्यादेश द्वारा लाभुकों को द्वितीय किस्त (कुल अनुदान राशि का 35 प्रतिशत) के भुगतान हेतु आवश्यक राशि 35.660 लाख (पैंतीस लाख छियासठ हजार) रुपये की स्वीकृति दी जा रही है। वैसे क्लस्टर ही भुगतान हेतु मान्य है, जिनका क्लस्टर का रकबा 25 एकड़ या उससे अधिक का है तथा पौधों की उत्तरजीविता 75 प्रतिशत से अधिक है।
5. द्वितीय किस्त (कुल अनुदान राशि का 35 प्रतिशत) की राशि का भुगतान शेष फसल यथा-आंवला, नींबू, बेल एवं पपीता के 75 प्रतिशत पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् नियमानुसार देय होगा।
6. संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा योजना के Geo tagging एवं योजना संबंधित आँकड़ों का संधारण किया जायेगा।
7. इस योजना का कार्यान्वयन उद्यान निदेशालय के पत्रांक-2979 दिनांक-08.08.2024 से निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।
8. इस योजना के कार्यान्वयन से 1600 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।
9. योजना की राशि कृषि विभाग द्वारा ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुसार निदेशक उद्यान को आवंटित की जायेगी। निदेशक उद्यान, बिहार द्वारा आवंटित राशि को बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना के पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अनुसूची-2 के अनुसार BTC Form-25 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS की विहित रीति के माध्यम से निकासी कर मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के PLA खाता संख्या-PBBPLA021 में अंतरित की जायेगी। मिशन निदेशक के द्वारा भौतिक लक्ष्य के अनुरूप PLA खाता संख्या-PBBPLA021 से राशि की निकासी कर CFMS प्रणाली के तहत लाभुकों का भुगतान किया जायेगा।
10. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 78.537 प्रतिशत, 20.00 प्रतिशत एवं 1.463 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
11. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-NHM/BHDS/119/2024.पी०पी०एम०-25 दिनांक-15.03.2024 तथा शुद्धि पत्र संख्या-NHM/BHDS/119/2024 .पी०पी०एम०-93 दिनांक-22.07.2024 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।
12. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
13. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।
14. मूल स्वीकृत्यादेश संख्या-NHM/BHDS/119/2024-पी०पी०एम०-25 दिनांक-15.03.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की योजना" दो वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में कुल 458.50 लाख (चार करोड़ अठावन लाख पचास हजार) रुपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा उक्त के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 298.03 लाख (दो करोड़ अठानवें लाख तीन हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन से प्रदान की गयी थी परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में उद्यान विकास

A

योजना हेतु वित्त विभाग से विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी मद में बजट उपबंध प्राप्त होने के कारण निम्नलिखित बजट शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है :-

(राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या-01, उप शीर्ष 0101-उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	19084.490	28.008
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-01, उप शीर्ष 0130-उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01- 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	4860.000	7.132
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01, उप शीर्ष 0152- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01- 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	355.510	0.520
कुल	24300.000	35.660

- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय संबंधित प्रस्ताव सहित स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या-NHM/BHDS/119/2024 के पृ0सं0-77/टि0 पर दिनांक-23.09.2025 को प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सशर्त सहमति संचिका संख्या-NHM/BHDS/119/2024 के पृष्ठ संख्या-73/टि० पर दिनांक-16.09.2024 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-743 दिनांक-16.09.2025 है। उक्त सशर्त सहमति का अनुपालन स्वीकृत्यादेश की कंडिका-14 में कर दिया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

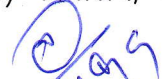

(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- NHM/BHDS/119/2024 - पी०पी०एम०-148 - /क०, पटना, दिनांक - 24.09.2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- NHM/BHDS/119/2024 - पी०पी०एम०-148 - /क०, पटना, दिनांक - 24.09.2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 - पी.पी.एम. - 148- /कृ०, पटना, दिनांक - 24.09. 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 - पी.पी.एम. - 148- /कृ०, पटना, दिनांक - 24.09. 2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 - पी.पी.एम. - 148- /कृ०, पटना, दिनांक - 24.09. 2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्प)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— NHM/BHDS/119/2024 - पी.पी.एम. - 148- /कृ०, पटना, दिनांक - 24.09. 2025

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्प), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची - 1

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर में बागवानी की योजना का वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक कुल दो वर्षों की स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना।

(राशि लाख रुपये में)									
क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य			अनुदान दर प्रति एकड़ (वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु)	वित्तीय लक्ष्य		
			क्लस्टर	एकड़ प्रति क्लस्टर	कुल रकवा (एकड़)		आकस्मिकताएं	वित्तीय लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	आंवला	1	25	25	0.35	0.165	8.750	8.915
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर	नींबू	1	25	25	0.35	0.165	8.750	8.915
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई	बेल	1	25	25	0.35	0.165	8.750	8.915
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा	पपीता	1	25	25	0.35	0.165	8.750	8.915
योग			4	100	100		0.66	35.00	35.660


उपेन्द्र कुमार


(अभिषेक कुमार)

अनुसूची - 2

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर में बागवानी की योजना का वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक कुल दो वर्षों की स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 का श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख रुपये में)						
क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	फसल का नाम	सामान्य श्रेणी @78.537%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.463%	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	आंवला	7.002	1.783	0.130	8.915
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर	नींबू	7.002	1.783	0.130	8.915
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई	बेल	7.002	1.783	0.130	8.915
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा	पपीता	7.002	1.783	0.130	8.915
योग			28.008	7.132	0.520	35.660


उपेन्द्र कुमार


(अभिषेक कुमार)